**न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)**

क्रमांक / /2024 बुरहानपुर, दिनांक : **13.03.2024**

**:: आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष 2024 ::**

मैं **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.),** माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुये, इस न्यायिक जिला बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाऐं निश्चित् करता हूँ।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्र**<br>**1. कोतवाली**<br>**2. जी.आर.पी.**<br>**3. यातायात**<br>**4. संपूर्ण आबकारी विभाग (वृत्त बुरहानपुर उत्तर, वृत्त बुरहानपुर दक्षिण एवं वृत्त नेपानगर)**<br><br>**2. संपूर्ण बुरहानपुर जिला** | **1.** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बुरहानपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त बुरहानपुर उत्तर, वृत्त बुरहानपुर दक्षिण एवं वृत्त नेपानगर) तथा उनकी चौकी एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना एवं उससे संबंधित परिवाद विलोपन एवं अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट तथा क्लोजर रिपोर्ट का निराकरण करना (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमें ग्राम न्यायालय शामिल है, को है)<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के अंतर्गत धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br><br>**3.** नगरपालिका बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रस्तुत होने वाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। **(माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।**<br>**4.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्र जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण, नेपानगर), तथा उनकी चौकियों से उत्पन्न होने वाले आबकारी प्रकरण, जिनमें जप्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक हो तथा धारा 49(ए) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण।<br>**6.** सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें।<br>**7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र, **आरक्षी केन्द्र कोतवाली** क्षेत्र से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **कोतवाली** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**9.** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 से संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक परिवाद संपूर्ण बुरहानपुर जिले का ग्रहण कर निराकरण करना (विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)<br>**10.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त आरक्षी केन्द्र, कोतवाली में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :–<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945<br>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | **11.** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली बुरहानपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण), (आरक्षी केन्द्र नेपानगर, निम्बोला को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम से संबंधित प्रकरण।<br>**12.** क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।<br>**13.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम की धारा 113/114, 115/194(1), 114/194(2) के अंतर्गत लोव्हर–लोडिंग से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।<br>**14.** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 एवं 325 के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण।<br>**15.** सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगाये जाने का कार्य।<br>**16.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों की परिसीमाओं से उत्पन्न एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के समस्त प्रकरण।<br>**17.** बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत ग्राम न्यायालयों द्वारा दाण्डिक प्रकरणों में किये गये विनिश्चियन् के विरुद्ध ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकायें।<br>**18.** अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर एवं अनुपस्थिति की स्थिति में उनके क्षेत्राधिकार के स्वीकारण के संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों को अपने न्यायालय में दर्ज कर निराकरण करना एवं आवश्यक आपराधिक कार्य का निष्पादन कराना एवं चालान लेकर संबंधित न्यायालय को भेजना।<br>**19.** सिविल जिला बुरहानपुर के न्यायालय की ओर से प्रेषित परिवाद का विचारण करना।<br>**20.** सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों के मामलो के खारिजी प्रतिवेदन तथा थाना सिटी कोतवाली बुरहानपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण), द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**21.** माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर एवं माननीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन करना।<br>**22**. **धारा 306 द.प्र.सं.**के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।<br>**23. श्रम विभाग एवं कारखाना अधिनियम** द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।<br>**24.** केबल टेलीविजन नेटवर्क(रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें।<br>**25.** मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।<br>**26.** औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। (कंडिका क्र.10 से 15 में जो अधिनियम उल्लेखित किये गये हैं, उनसे संबंधित ऐसे प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य हो, सुने जायेंगे)<br>**27.** ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है, लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | **श्री अजय कुमार यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्र**<br><br>**1. लालबाग** | **1.** थाना **लालबाग** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **लालबाग** क्षेत्र के धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।<br>**4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **लालबाग** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **लालबाग** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।<br>**6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों एवं अन्य कार्यवाहियों का निराकरण करना।<br>**7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **लालबाग** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **लालबाग** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**09.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **लालबाग** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :–<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945<br>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम |
| | | **2. वन विभाग जिला बुरहानपुर** | **10.** जिला बुरहानपुर में स्थित वन अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण। |
| 3. | **श्रीमती संघप्रिया मद्रसेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्रः– शाहपुर** | **माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार सप्ताह में एक दिन बुधवार को बाल न्यायालय का कार्य तथा बाकी दिन नियमित न्यायालय में कार्य संपादित करेंगी।**<br>**1.** थाना **शाहपुर** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **शाहपुर** क्षेत्र के धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **शाहपुर** क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **शाहपुर** क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।<br>**6.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला क्षेत्र के ऐसे ग्राम जो तहसील बुरहानपुर में समाहित नहीं हैं, को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि **यह कार्य विभाजन आदेश लागू होने की दिनांक से माह नवंबर, दिसबंर 2024** तक की अवधि एवं आगामी आदेश तक प्रस्तुत किये जावे।<br>**7.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **शाहपुर** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **शाहपुर** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **शाहपुर** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :–<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945<br>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम<br>11. आरक्षी केन्द्र शाहपुर, लालबाग क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू हिंसा से सम्बंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण। |
| 4. | **श्री राजकुमार भद्रसेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्र:–**<br>**1.शिकारपुरा** | **1.** आरक्षी केन्द्र **शिकारपुरा** द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रो के अंतर्गत धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।<br>**4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।<br>**6.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला क्षेत्र के ऐसे ग्राम जो तहसील बुरहानपुर में समाहित नहीं हैं, को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि **माह मार्च, अप्रैल 2024** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | **7.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**9.** थाना शिकारपुरा एवं वन विभाग, बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :–<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945<br>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्यूत अधिनियम |
| 5. | **डॉ. गौरव गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्रः–**<br>**1. नेपानगर**<br>**2. निम्बोला** | **1.** थाना **नेपानगर, निम्बोला** थाना क्षेत्र के ऐसे ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है, को छोड़कर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **नेपानगर, निम्बोला** थाना क्षेत्र के ऐसे ग्राम, जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में समाहित है, को छोड़कर क्षेत्रों के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।<br>**4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।<br>**6.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण।<br>**7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित / उनके विरुद्ध कारित अपराध / अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**9.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**11.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :–<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम |
| **6.** | **श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्रः–**<br><br>**1.खकनार** | **1.** थाना **खकनार** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **खकनार** क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।<br>**4.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला क्षेत्र के ऐसे ग्राम जो तहसील बुरहानपुर में समाहित नहीं हैं, को छोड़कर) के<br>शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्‌भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि **माह मई, जू<u>न, 2024</u>** तक की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।<br>**5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**6.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।<br>**7.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :–<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945<br>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम |
| **7.** | **श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्रः– निंबोला क्षेत्र के ग्राम जो तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में सम्मिलित है।** | **1.** थाना **<u>निंबोला क्षेत्र के ग्राम जो</u> <u>तहसील बुरहानपुर क्षेत्र में सम्मिलित है</u>** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।<br>**4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।<br>**6.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय—समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**09.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :—<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945<br>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम<br>**10.** आरक्षी केन्द्र खकनार, गणपतिनाका क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू हिंसा से सम्बंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण। |
| 8. | **श्री गुरुवेन्द्र कुमार धुरमाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर** | **आरक्षी केन्द्रः—**<br><br>**1. गणपतिनाका** | **1.** थाना **गणपतिनाका** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** क्षेत्र के धारा 176 द.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना।<br>**4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।<br>**5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना।<br>**6.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला क्षेत्र के ऐसे ग्राम जो तहसील बुरहानपुर में समाहित नहीं हैं, को छोड़कर) के<br>शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह **जुलाई एवं अगस्त, 2024** तक की अवधि में प्रस्तुत |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | किये जावे।<br>**7.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण।<br>**9.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना।<br>**10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :–<br>अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945<br>ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955<br>स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958<br>द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम<br>य. नाप तौल अधिनियम<br>र. फैक्ट्री अधिनियम<br>ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम |
| **9.** | **सुश्री आरती गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर** | **1. जिला बुरहानपुर में स्थित थाना क्षेत्र से (थाना क्षेत्र नेपानगर तथा थाना क्षेत्र निम्बोला के नेपानगर तहसील को छोड़कर) महिलाओं से संबंधित अपराध (मात्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हो)**<br><br>**2.महिला थाना** | **1.** समस्त आरक्षी केन्द्र (आरक्षी केन्द्र नेपानगर एवं निम्बोला क्षेत्र के ऐसे ग्राम जो तहसील बुरहानपुर में समाहित हैं) क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**2.** आरक्षी केन्द्र कोतवाली, शिकारपुरा, निम्बोला क्षेत्र के ऐसे ग्राम जो तहसील बुरहानपुर में समाहित नहीं हैं, से उत्पन्न घरेलू हिंसा से सम्बंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**3.** जिला बुरहानपुर (थाना नेपानगर एवं निम्बोला क्षेत्र के ऐसे ग्राम जो तहसील बुरहानपुर में समाहित नहीं हैं, को छोड़कर) के शेष आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, जो कि माह **<u>सितंबर एवं अक्टूबर 2024</u>** की अवधि में प्रस्तुत किये जावे।<br>**4.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे गये समस्त न्यायिक कार्य सम्पादित किये जायेंगे।<br>**5.** महिला थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।<br>**6.** उपरोक्त महिला थाना क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।<br>**7.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। |
| **10.** | **सुश्री दिव्या श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर** | | **मात्र अंतरण पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।** |

**<u>सामान्य आदेश</u>** :–

1. इस कार्य विभाजन पत्रक का किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. इस आदेश के निर्वचन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जाये।

4. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों में समान रुप से दोपहर 3 से 5 बजे तक आवश्यक रिमाण्ड ड्यूटी के साथ सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र का निराकरण भी करेंगे।

**<u>नोट :–1.</u>** किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में निम्नलिखित कंडिका क. 5, 6, 7 में उल्लेखित कार्य माने जायेंगे।

5. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दगीनामा एवं धारा 164 द.प्र.सं. के आवेदन पत्रों का निराकरण।

6. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना, जो वृद्धावस्था तथा बीमार अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थि हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उन्हें पुनः आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।

7. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हों, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।

8. महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय नहीं है, संबंधित थाना क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान/अन्य कार्यवाही प्रस्तुत की जायेगी।

9. संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निर्देश प्राप्त करके अपनी अधिकारिता में प्रत्येक 02 माह में कम से कम एक बार चलित न्यायालय लगायेंगे।

1 0. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा,ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

11. वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण व 138 एस.सी.एन.आई.ए. के मामलों में जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

12. अजाक थाने से संबंधित प्रकरणों एवं ऐसे मामले, जिनमें विचारण हेतु जिला में विशेष न्यायालय गठित है, में रिमांड कार्य, जिले में विशेष न्यायालय का गठन होने से मात्र सार्वजनिक अवकाश के दौरान संपादित किये जायेंगे।

13. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी भेजी जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा 306, 304–'बी' भा.दं.वि. के प्रकरणो में एफ.एस.एल. रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे तथा सभी अजमानतीय अपराध में यदि कोई जमानत आवेदन निरस्त होता है तो, उस दशा में आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न की जाये।

14. जिला मुख्यालय/तहसील स्तर पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

15. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ. सी. के न्यायालय में भेजे जावे।

16. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

17. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त अंतिम प्रतिवेदन खात्मा स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

18. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग–पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को प्राप्त हैं।

19. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

20. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची क्रमांक 'ब' अनुसार किया जावेगा।

21. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की अधिसूचना भाग–दो खण्ड–3(I) नई दिल्ली 23 दिसम्बर 2022 में हुये संशोधन के परिणामस्वरुप, धारा 14(1) तथा 15 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 52'क' सहपठित धारा 76 केन्द्र स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत नमूना अनुसूची अ अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा।

22. धारा 340 द.प्र.सं. के न्यायिक जिला बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

23. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची क्रमांक 'अ' के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

24. इस न्यायिक जिला स्थापना पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रिक्त होकर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं होने पर उक्त न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट से उद्भूत प्रकरण एवं उनमें पारित निर्णय, की गई अपील के उपरांत प्रत्यावर्तन उपरांत सुनवाई हेतु एवं अन्य आवश्यक कार्य, विधिक कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की तिथि बढ़ाने और अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रभार इस कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुसूची 'अ' में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

**उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) के अनुमोदन तिथि से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।**

**अनुमोदित**

14/3/24

**(आशिता श्रीवास्तव)**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

13.03.24

**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

**न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)**
**न्यायिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024**
**अनुसूची–"अ"**

| क्र. | न्यायिक मजि.जो अवकाश पर रहेंगे | जिनके पास प्रभार रहेगा/ प्रथम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट | कॉलम नं. 1 व 2 के मजि. अवकाश पर रहने पर द्वितीय प्रभारी न्यायिक मजि. | कॉलम नं. 1,2 व 3 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर तृतीय प्रभारी न्यायिक मजि. | कॉलम नं. 1,2,3 व 4 के मजि. अवकाश पर रहने पर चतुर्थ प्रभारी न्यायिक मजि. | कॉलम नं. 1,2,3,4 व 5 के मजि. अवकाश पर रहने पर पंचम प्रभारी न्यायिक मजि. | कॉलम नं. 1,2,3,4,5 व 6 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर षष्ठम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट | कॉलम नं. 1,2,3,4,5,6 व 7 के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने पर सप्तम प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सुश्री सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर | श्री अजय कुमार यदु, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संघाप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ.सी., बुरहानपुर | श्री गुरूवेन्द्र हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्रीमती आरती गौतम, जे.एम.एफ.सी., बुरहानपुर |
| 2. | श्री अजय कुमार यदु, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संघाप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपु | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री गुरूवेन्द्र हुरमाड़े जे.एम.एफ.सी., बुरहानपुर | श्रीमती आरती गौतम, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | सुश्री सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर |
| 3. | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | सुश्री आरती गौतम जे.एम.एफ.सी., बुरहानपुर | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. | श्री अजय कुमार यदु,जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 4. | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | सुश्री आरती गौतम जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. | श्री अजय कुमार यदु,जे. एम.एफ.सी. बुरहानपुर | सुश्री सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर |
| 5. | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | सुश्री आरती गौतम जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. जे.एम.एफ.सी. | श्री अजय कुमार यदु,जे. एम.एफ.सी. बुरहानपुर | सुश्री सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर |
| 6. | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, | श्री गुरुवेन्द्र कुमार | सुश्री आरती गौतम जे.एम.एफ. | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. | श्री राजकुमार भद्रसेन, | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, | श्री अजय कुमार यदु,जे. एम.एफ.सी. | सुश्री सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | सी., बुरहानपुर | बुरहानपुर | जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | बुरहानपुर | मजिस्ट्रेट बुरहानपुर |
| 7. | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | सुश्री आरती गौतम जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | श्री अजय कुमार यदु,जे. एम.एफ.सी. बुरहानपुर | सुश्री सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर |
| 8. | सुश्री आरती गौतम जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | श्री अजय कुमार यदु,जे. एम.एफ.सी. बुरहानपुर | सुश्री सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर |
| 9. | सुश्री दिव्या श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला बुरहानपुर | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | सुश्री आरती गौतम जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी., बुरहानपुर | श्री देवेश मिश्रा, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर | श्री राजकुमार भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर | श्री अजय कुमार यदु,जे.ए म.एफ.सी. बुरहानपुर |

**अनुमोदित** 14/3/24

**(आशिता श्रीवास्तव)**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

13.03.24
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

**न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)**

**न्यायिक कार्य विभाजन आदेश, वर्ष 2024 की अनुसूची–"ब"**

**धारा 164 दं0प्र0सं0 के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां**

| अनुकमांक | थाना क्षेत्र | न्यायिक मजिस्ट्रेट |
|---|---|---|
| 1. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. कोतवाली** | श्री अजय कुमार यदु,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 2. | आरक्षी केन्द्रः–<br>1. **खकनार, वन विभाग** थाना क्षेत्र से उत्पन्न अपराध तथा थाना शाहपुर, कोतवाली, वन विभाग, निम्बोला, थाना क्षेत्र अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के प्रकरणों में। | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन,<br>जे.एम.एफ.सी., बुरहानपुर |
| 3. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. लालबाग, 2. जी.आर.पी.** | श्री राजकुमार भद्रसेन,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 4. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. नेपानगर 2. शिकारपुरा 3. आबकारी समस्त वृत्त** | श्री देवेश मिश्रा,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 5. | 1. **आरक्षी केन्द्र गणपतिनाका, यातायात, महिला थाना** ( महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध जिनकी सुनवायी का क्षेत्राधिकार माननीय सत्र न्यायालय को है, को छोड़कर अन्य अपराध के संबंध) थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण तथा थाना **गणपतिनाका, आबकारी, नेपानगर, अजाक** थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के प्रकरणों में। | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 6. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. निम्बोला 2. शाहपुर 3. अजाक, जिला बुरहानपुर** | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 7. | आरक्षी केन्द्र :–1. महिला थानान्तर्गत महिलाओ से संबंधित अपराध, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सत्र न्यायालय को है, से संबंधित अपराध के संबंध में।<br>**2. थाना शिकारपुरा, लालबाग, यातायात, महिला थाना** क्षेत्र से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के प्रकरणों में। | सुश्री आरती गौतम,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |

**अनुमोदित**

**(आशिता श्रीवास्तव)**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

13.03.24
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

**न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)**
**न्यायिक कार्य विभाजन आदेश, वर्ष 2024 की अनुसूची–"स"**
**एन.डी.पी.एस. से संबंधित**

| अनुक्रमांक | थाना क्षेत्र | न्यायिक मजिस्ट्रेट |
|---|---|---|
| 1. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. कोतवाली** | श्री अजय कुमार यदु,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 2. | आरक्षी केन्द्रः–<br>1. **शिकारपुरा** | श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन,<br>जे.एम.एफ.सी., बुरहानपुर |
| 2. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. लालबाग** | श्री राजकुमार भद्रसेन,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 3. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. शाहपुर 2. वन विभाग** | श्री देवेश मिश्रा,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 4. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. नेपानगर, यातायात** | श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 4. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. गणपतिनाका, जी.आर.पी.** | श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |
| 5. | आरक्षी केन्द्र :–<br>**1. खकनार, निंबोला** | सुश्री आरती गौतम,<br>जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर |

**....निरंतर**

**नोटः 1.** उपरोक्त कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में इस अनुसूची में वर्णित कार्य, अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

2. इस अनुसूची 'ब' में वर्णित धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेने के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट, यदि अवकाश पर हो अथवा अन्यथा अनुपस्थित हो, तो उस दशा में अनुसूची 'अ' में वर्णित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा 164 दं.प्र.सं. के कथन संबंधी कार्यवाही की जाएगी किंतु यदि वह प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसा हो कि जिसके न्यायालय में ही उस प्रकरण से संबंधित धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन पत्रक में है, तो उस दशा में अनुसूची "अ" के कालम में वर्णित अग्रिम (Next) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दं.प्र. सं. की कार्यवाही इस प्रकार के मामले में संपन्न की जावेगी।

**अनुमोदित** 14/3/24

**(आशिता श्रीवास्तव)**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

13.03.24
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**

**न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)**

क्रमांक–                ( )/आप./2024                                        बुरहानपुर,दिनांक : ....../03/2024

**//आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024//**

**प्रतिलिपि :–**

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. शीघ्रलेखक, श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर।
3. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर।
4. कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि, कृपया समस्त थाना प्रभारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. श्री अजय कुमार यदु/श्रीमती संघप्रीया भद्रसेन/श्री राजकुमार भद्रसेन/श्री देवेश मिश्रा/श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा/श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े/सुश्री आरती गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. डॉ. गौरव गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. जिला वन मंडलाधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
9. थाना प्रभारी, जी.आर.पी.खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
10. कारखाना निरीक्षक, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
11. उप संचालक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग।
12. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म0प्र0 शासन बुरहानपुर।
13. जिला अभियोजन अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
14. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
15. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
16. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
17. सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड–3, कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. पंजीयन लिपिक, फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13.03.24

**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**जिला बुरहानपुर म.प्र.**